सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 11, मंगलवार, *शाके* 1947- अप्रेल 01, 2025 *Chaitra 11, Tuesday, Saka 1947- April 01, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2025

संख्या:11/भू.अ./ज.स./2025/507-517:- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) की धारा 8(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्न सिंचाई परियोजना में सलग्न सूची अनुसार सिंचित भूमि क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ परियोजना क्षेत्र घोषित करती हैः-

1. आहू-1 (सलावद खुर्द और नाहरसिंगी-800 हैक्टयर सीसीए) सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ब्लॉक खैराबाद, जिला कोटा।
2. बास्याहेडी एम.एस.टी. (कांकरिया) सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ब्लॉक सांगोद, जिला कोटा।

विवरण

आहू-1 (सलावद खुर्द और नाहरसिंगी-800 हैक्टयर सीसीए) सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ब्लॉक खैराबाद, जिला कोटा के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामो की सूची :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	हनोतिया	रामगंजमंडी	कोटा
2	गादीया	रामगंजमंडी	कोटा
3	अरन्याकंला	रामगंजमंडी	कोटा
4	बास्याहेडी	रामगंजमंडी	कोटा
5	पायली	रामगंजमंडी	कोटा
6	गोला	रामगंजमंडी	कोटा

बास्याहेडी एम.एस.टी. (कांकरिया) सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना सांगोद, जिला कोटा (165 हेक्टयेर) के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामो की सूची :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	बास्याहेड़ी	कनवास	कोटा
2	कांकरिया	कनवास	कोटा

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।